उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम
26/9/25	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी [illegible] से वकालतनामा पेश करने हेतु अन्तिम मौका चाहा। जो इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि आगामी पेशी पर वकालतनामा पेश नहीं करने पर दावा खारिज कर दिया जावेगा। पत्रावली दिनांक 06/10/2025 को पेश हो।
06/10/25	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर भी वादी एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए अतः मु.नं. 192/2012 उनवान विनोद चरण बनाम रघुवीर दावा बाबत इस्तमरारी इन्हाज व स्थाई निषेधाज्ञा अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नकल से कम की जाकर संग दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)